Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 6, June - 2026

DOIs:10.2018/SS/202606001 --:-- Research Paper / Article / Review

ग्रामीण बालिकाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण में ''गांव की बेटी योजना'' की भूमिका

[1] सुशील मायदा, [2] डॉ.मीनाक्षी पंचाल
[2] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, PAHER विश्वविद्यालय (उदयपुर)
[2] Supervisor, अर्थशास्त्र विभाग, (PCSSH), PAHER विश्वविद्यालय (उदयपुर)
Susheelmaida@gmail.com, meenakshimlsu@gmail.com

सारांश: शिक्षा मानव जीवन के विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं की शिक्षा के बिना संभव नहीं है। भारत के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बालिकाओं की शिक्षा अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित होती है। गरीबी, बाल विवाह, लैंगिक असमानता, विद्यालयों की कमी तथा जागरूकता के अभाव के कारण अनेक बालिकाएं शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती हैं।

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ''गांव की बेटी योजना'' प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

प्रस्तुत शोध पत्र में ''गांव की बेटी योजना'' के माध्यम से बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि यह योजना ग्रामीण एवं आदिवासी समाज की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, विद्यालय त्याग दर को कम करने तथा आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।यह योजना महिलाओं के सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुदृढ़ता तथा समाज में उनकी सहभागिता को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

मुख्य शब्द: बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, गांव की बेटी योजना, उच्च शिक्षा, लैंगिक समानता।

1 प्रस्तावना :-

प्राचीनकाल से ही शिक्षा को ज्ञान और सभ्यता का सही मार्ग माना गया है। शिक्षा के माध्यम से मानव की शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला एवं कौशल में वद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो उसे सभ्य, सुसंस्कत एवं योग्य नागरिक बनाता है। अतः जीवन में शिक्षा आवश्यक होती है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों विकास कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से पुरूष और महिला दोनों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

भारत में शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी स्रोत माना गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से वन क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई समस्याएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं। इन समस्याओं के निराकरण तथा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सर्वोप्रथम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1959 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। वर्ष 1971 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु समिति गठित की गई।

समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की दूरी कम करने तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया गया।

शिक्षा वास्तव में समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। विश्व के समाजशास्त्रीय अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षा और विकास में सीधा सम्बन्ध है, विशेषतः विकासशील देशों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही मानव संसाधन विकास का अंग है।

महिलाएं विश्व का आधा भाग हैं, तथापि विकास में उनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः महिलाओं की शिक्षा से वंचितकरण उनके मनोबल को कम करता है।

2 शोध पत्र के उद्देश्य :-

1. शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन करना।

2. गांव की बेटी योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।

3 शिक्षा की भूमिका: ग्रामीण एवं आदिवासी बालिकाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा की भूमिका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सांस्कतिक परिवर्तन के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा अनेक पीढ़ियों से चली आ रही कुप्रथाओं और रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ने, पारंपरिक दष्टिकोण के दायरे से बाहर निकलने, नई चुनौतियों को स्वीकार करने तथा रोजगार के नए-नए अवसर खोजने में सहायक है।

शिक्षा के महत्व और भूमिका के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न हैं :-

- सशक्तिकरण और आत्मविश्वास: शिक्षा आदिवासी बालिकाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे उनका मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। यह उन्हें समाज में अपनी बात रखने तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

- रोजगार और आर्थिक उन्नति: शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न योजनाओं से बालिकाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके परिणामस्वरूप समाज का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उच्च होता है।
- सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन: शिक्षा के माध्यम से आदिवासी बालिकाएं एवं महिलाएं समाज में अपनी अलग पहचान बनाती हैं। साथ ही शिक्षा के महत्व को बढ़ाती हैं तथा रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं में बदलाव लाने में सहायक होती हैं तथा विकसित समाज का निर्माण करती हैं।

इस प्रकार ग्रामीण आदिवासी बालिकाओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इनके समक्ष कई चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे आज भी अनेक बालिकाएं शिक्षा से दूर हैं। इनके प्रमुख कारण पारिवारिक परिस्थितियां, रूढ़िवादी विचार तथा लैंगिक असमानता का प्रभाव है।

भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता के मामले में पुरूषों और महिलाओं में अंतर पाया गया है। जहां पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं में यह दर केवल 65.46 प्रतिशत है। इसमें भी आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर 54 प्रतिशत रही।

भारत सरकार द्वारा साक्षरता बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और गांव की बेटी योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

4 गांव की बेटी योजना :- गांव की बेटी योजना एक छातवृत्ति योजना है, जिसकी शुरूआत मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा वर्ष ''2005'' में की गई। यह योजना ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हुए आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को छात्रवत्ति दी जाती है जिससे वे अपनी शिक्षा को जारी रख

सकती हैं। आत्मनिर्भर रह सके और अपने भविष्य को सुरक्षा रख सके। इस योजना के द्वारा बालिकाएं स्वयं अपनी शिक्षा का खर्च उठाएंगी और उन्हें अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा।

बालिकाओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाएं जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाती हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5000 रू. वार्षिक दिए जाते हैं। लेकिन योजना का लाभ हेतु उन्हें महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

महिला सशक्तिकरण में योजना की भूमिका :-

1. **वित्तीय बाधा** : मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार सीमीत वित्तीय साधनों के साथ जुड़े होते हैं, जिससे उनके लिए शिक्षा का खर्च वहन करना कठिन हो जाता है। अतः बेटियों की शिक्षा के लिए यह छात्रवृत्ति योजना उन्हें वित्तीय सहायता देती है।

2. **लैंगिक असमानताएं** : ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में अवधारणा एवं अज्ञानता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार की छात्रवृत्ति योजना से समाज में व्याप्त पुरूष और महिला में भेदभाव को दूर किया जा सकता है।

3. **सामाजिक एवं आर्थिक विकास** : शिक्षित महिलाएं अपने समाज एवं समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा प्राप्त करने से वे बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकती हैं।

4. **गरीबी के चक्र को तोड़ना** : शिक्षा एक ऐसा साधन है जो गरीबी के चक्र को तोड़ने में सहायक होता है। एक शिक्षित महिला परिवार के भरण-पोषण में सहायक होती है साथ ही परिवार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है।

5. **सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव** : समय के साथ-साथ जैसे-जैसे अधिक से अधिक महिलाएं और बालिकाएं इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से शिक्षा का लाभ प्राप्त करेंगी, फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के समाज और समुदाय में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन होगा। इस बदलाव से महिलाओं की शिक्षा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को अधिक स्वीकृति मिलेगीफ।

6. **मानव पूंजी विकास** : बालिकाओं की शिक्षा में निवेश करने का अर्थ ही है, मानव पूंजी में निवेश करनाफ। शिक्षा उन्हें समाज और कार्यबल में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में दक्ष करती है। शिक्षा के माध्यम से आज की नारी भी पुरुषों के समान श्रेष्ठ और कुशल श्रमिक है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उसका महत्वपूर्ण योगदान है।

योजना का सामाजिक एवम शैक्षिक प्रभाव :- मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना वर्ष 2005 से निरन्तर क्रियान्वित है। इस योजना के तहत पारम्परिक पाठ्यक्रम हेतु रुपये 500 प्रति माह एवं तकनीकी शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन हेतु रुपये 750 प्रति माह छात्राओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया की जानकारी स्टेट स्काॅलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान तक कई बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है।

योजना का सामाजिक एवं शैक्षिक प्रभावःकृ गाँव की बेटी योजना का प्रभाव ग्रामीण समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस योजना के कारण बालिकाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है, विद्यालय त्याग दर (क्तवच वनज तंजम) में कमी आई है, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है, और महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

5 निष्कर्षः- प्रस्तुत शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि 'गाँव की बेटी योजना' ग्रामीण एवं आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा एवं सशतिक्तकरण के लिए अत्यन्त प्रभावी योजना है। यह योजना आर्थिक सहायता के माध्यम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है तथ उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मवश्विास विकसित करती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। योजना ने बाल विवाह, अशिक्षा एवं लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'गाँव की बेटी योजना' महिला सशतिक्तकरण एवं ग्रामीण विकास की दिशा में एाक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल है जो भविष्य में भारतीय समाज को अधिक शिक्षित, सशक्त एवं समानतापूर्ण बनाने में सहायाक होगा।

संदर्भः-

Journal Paper :-

1. रूप कमल कौर (2020), "जनजातीय महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका", खण्ड 6, अंक 5 IJARIIE-ISSN - 2395-4396.
2. शर्मा अंजलि (2020), "ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं पर शैक्षिक योजनाओं का प्रभाव" International Journal of Rural Studies, Vol.26, no.3, page 34-40.

Book :-

1. कुमार पार्थिव (2013), "शिक्षा का अधिकार कानून", केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, पृ.सं.20

Report :-

1. जनगणना प्रतिवेदन वर्ष 2011.